


दूनघाटी विशेष विकास क्षेत्र महायोजना 2031



प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र सेक्टर सहसपुर

संकेतिका

(1) आवासीय (R)	(8) परिवहन (T)
निर्मित क्षेत्र	वर्तमान मार्ग
आवासीय क्षेत्र	प्रस्तावित मार्ग विस्तार
मिश्रित	प्रस्तावित मार्ग
(2) व्यवसायिक (C)	रेलवे लाईन / क्षेत्र
व्यवसायिक	ट्रक अड्डा
(3) औद्योगिक (M)	अन्य
औद्योगिक	सेक्टर क्षेत्र सीमा
(4) सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक (PSP)	अपरिभाषित क्षेत्र
सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक	नदी / नाले
(5) मनोरंजन (P)	
मनोरंजन	
(6) कृषि (A)	
कृषि	
(7) विशेष क्षेत्र (S)	
उद्यान / वृक्षारोपण	
चाय बगान	
वन	

उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग-2

अधिसूचना संख्या- 1814/V-2-2016-33(आ0)/2010
देहरादून दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 द्वारा अनुमोदित

ह0/-
आर0 मीनाक्षी सुन्दरम
सचिव, आवास

मूल सिद्धान्त

- महायोजना एक Broad Landuse Document है। पैमाने छोटा होने के कारण महायोजना में प्रमुख भू-उपयोगों को ही प्रस्ताव दिये जाते हैं। महायोजना के प्रमुख भू-उपयोगों की अवलोकन detailing व जोनल स्तर के भू-उपयोग के प्रस्ताव जोनल स्तर में दिये जाते हैं।
- सुनिश्चित भू-उपयोग के प्रस्ताव नीति पर आधारित हैं, व्यक्तिगत भू-स्वामित्व तथा सार्वजनिक पर आधारित नहीं हैं।
- दूनघाटी महायोजना-2031 में वर्गीकृत भू-उपयोगों को सुशीशीपीएचआरएडी गण्डवगाईना के अनुसार प्रमुख भू-उपयोग क्षेत्रों के अन्तर्गत रखा गया है।
- संशोधित महायोजना जीआरआईएचएआर आधारित मानचित्र पर व्यवस्थित विकास क्षेत्रों को दर्शाते हैं।
- महायोजना-2031 मानचित्र एवं जीआरआईएचएआर आधारित आवासीय क्षेत्र क्षेत्र में भू-उपयोग होने के कारण विभिन्न भू-उपयोगों एवं परिवर्तन के प्रकार, इष्टतमता एवं जोनल / मार्ग आदि के संरक्षण में अग्रणी स्थानाधिक है।
- भू-उपयोग के विभिन्न परिवर्तन को जीआरआईएचएआर आधारित मानचित्र में प्रदर्शित अनुसार दर्शाते हैं। जोनल सीमा में संशोधन किया गया है। छोटे आकार के विद्यमान परिवर्तन, जिनका सुरुआत आरंभिक महायोजना स्तर पर सम्भव नहीं है, को मानचित्र में चिह्नित नहीं किया गया है। चौके पर इनकी वास्तविक स्थिति अनुसार परिवर्तन सीमा माने जायगी।
- वन विभाग से प्राप्त आरक्षित वन भूमि के अविवेक व आधार मानचित्र के माफक लगान एक रक्षान होने के दुर्घटित वन सीमा को यथासम्भव सही लगाया गया है।
- किसी भी प्रमुख भू-उपयोग क्षेत्रों में चौके पर आरक्षित वन होने की स्थिति में सम्बन्धित स्थल को वन क्षेत्र के अन्तर्गत माना जायेगा। किसी भूमि से वनी वन क्षेत्र की सीमा अथवा vice versa की स्थिति होने पर ऐसे क्षेत्रों के एकाग्र प्रकरणों में आवश्यकानुसार वन विभाग से उचित उपयुक्त भू-उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रमुख मार्ग पर प्रस्तावित व्यवसायिक क्षेत्रों को उनसे निकटतम औद्योगिक, सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ एवं प्रस्तावित मानचित्र के विकास सहित महायोजना प्रतिवेदन के परिधि में सुचीकृत किया गया है।
- महायोजना में प्रस्तावित मार्ग / एकाग्र-बन्ध आदि के एकाग्र-बन्ध को व्यवस्थित रूप से रखा गया है। एकाग्र-बन्ध मार्गों को जीआरआईएचएआर आधारित आवासीय क्षेत्रों में प्रदर्शित विद्यमान मार्ग एकाग्र-बन्ध के अनुसार रखा गया है।
- महायोजना प्रतिवेदन में वर्णित नदी-नालें, जिनके किनारे की भूमि में नदी की ओर 10-10 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाता है, को महायोजना मानचित्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है। इस प्राविधान को बायोरोज द्वारा सुनिश्चित किया जा चक्रेगा।
- उपरोक्तानुसार किये गये संशोधन अपरिभाषित मानचित्र में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे त्रुटिकरम त्रुटि मानने हूँ महायोजना में संशोधन समझा जायेगा।

80 आगुआ, मनुवाएल मण्डल अर्थात्।	80 मुख्य नगर एवं अन्य निवेशक क्षेत्र
80 शक्ति विकास क्षेत्र	80 शक्ति विकास क्षेत्र
80 वैश्वीय विकास क्षेत्र	80 वैश्वीय विकास क्षेत्र
80 वैश्वीय विकास क्षेत्र	80 वैश्वीय विकास क्षेत्र

दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत

